

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – एक विश्लेषण

मनोज टाक* डॉ. कनिया मेड़ा**

*शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार की एक महान संकल्पना है, जो कि श्रेष्ठ भारत एवं मूल्यवान भारत की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। यह शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरिंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा घोषित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020, वर्ष 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के – लगभग 34 साल बाद, भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन किया गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (GER) को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। 'मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय' का नाम परिवर्तित कर 'शिक्षा – मंत्रालय' कर दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में पांचवी कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा –3 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – उद्देश्य – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करें। शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – सिद्धान्त – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ मूलभूत सिद्धान्त सन्निहित हैं जो कि शिक्षा, शिक्षक और छात्रों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होकर निरन्तर सीखने पर जोर देते हैं, ताकि शिक्षा से जुड़ी सभी इकाईयों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो –

1. बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, शिक्षकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं के विकास

पर भी पूरा ध्यान दें।

2. साक्षरता और संख्यामान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना जिससे सभी बच्चे कक्षा के ज्ञान और सीखने के मूलभूत कौशल को हासिल कर सकें।
3. लचीलापन ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर-तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें।
4. कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं, आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो।
5. सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु-विषयक और समग्र शिक्षा का विकास।
6. अवधारणात्मक समझ पर जोर न कि रटत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई।
7. रचनात्मकता और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए।
8. नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे, सहानुभुति, दुसरो के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना सेवा की भावना, सार्वजनिक सम्पत्ति के सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय।
9. बहु भाषिकता पर जोर।
10. जीवन कौशल जैसे – आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन।
11. सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर।
12. साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केन्द्र में रखकर शिक्षा को निरुत्साह करना जिससे कि आज की 'कोचिंग संस्कृति' को ही बढ़ावा मिलता है।
13. तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर।
14. सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान।
15. पूर्ण समता और समावेशन की सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें।
16. उत्कृष्ट स्तर का शोध शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की समीक्षा।

17. भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध, प्राचीन और आधुनिक, संस्कृति और ज्ञान, प्रणालियों और परम्पराओं को शामिल करने और उससे प्रेरणा पाना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - पाठ्यक्रम - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शैक्षणिक पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि उनको बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ चरित्र निर्माण भी हो सकें।

1. विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी शिक्षा, शिल्प, मान।
2. विकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य शामिल हो। शिक्षा से बच्चों में चरित्र निर्माण होता हो।
3. बच्चों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करने के गुण हो, और रोजगार के लिए सक्षम बनाती हो।
4. 2040 तक भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जो सभी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले बच्चों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराती हो।
5. शिक्षा साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ-साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास के साथ साथ नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास करती हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - शिक्षा की विषयवस्तु - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की विषयवस्तु नीति के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के अनुकूल ही बनाई गई है -

1. बच्चों को समस्या समाधान, तर्क शक्ति एवं रचनात्मक रूप से सोचना सिखाती हो।
2. बच्चे विषयों के बीच अंतर संबंध देख पाते हो।
3. नई सोच और नई जानकारी को नई परिस्थितियों में उपयोग करना सिखाती हो।
4. शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करती हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - भाषाई विविधता का संरक्षण - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 05 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 08 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

1. स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परन्तु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 - प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा

1. बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 06 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है।

2. अतः बच्चों के मस्तिष्क का उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करना।

3. प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द, निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किए जाने का उल्लेख है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो।

बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान - बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त है तथा इन कौशलों को प्राप्त करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। जिसे 2027 तक सीखने के बुनियादी लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा।

स्कूली ढाँचे में परिवर्तन - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 1986 की 10+2 वाली स्कूली शिक्षा व्यवस्था को 03 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्चा और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित किया गया है।

पिछला अकादमिक ढांचा	नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा
02 (Ages 16-18)	04(Class 09+012)(Ages 14-18)
10 (Ages 06-16)	- Secenedary
	03(Class 6+08)(11-14) – Middle
	03(Class 03+05)(Ages 08-11) – pre
	parpatary
	02years(Class 1 & 2)(Ages 06-08)
	- foundational
	03 years (Anganwadi/pre school/
	Balvatika)

निष्कर्षतः कहा जा सकता है, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21 वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था उसके नियमन और गर्वनेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पूर्णगठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' के साथ साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. समग्र शिक्षा, म.प्र. राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
2. सामर्थ्य, म.प्र. राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
3. Ministry of Education, <https://www.education.gov.in>
4. <https://hi-wikipedia.org>
